न्यायालय : अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 01 वाडी, जिला धौलपुर

<u>श्रीमती लक्ष्मी देवी बनाम राजस्थान सरकार</u>
<u>मूल दीवानी संख्या :— 02/23</u>

<u>दिनांक 16.02.2026</u>

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। आदेश 8 नियम 9 सिविल प्रक्रिया संहिता व बहस सुनी गई। दिनांक 29.10.2024 व दिनांक 24.02.2025 को प्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत दो प्रार्थना—पत्रों का निस्तारण किया जा रहा है, जिसके संक्षेप में कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 से 5 में जवाब दावा न्यायालय में प्रस्तुत किया, जिसमें कुछ नवीन तथ्य अंकित किए हैं, जिसकी जानकारी वादीगण को वाद दायर के समय नहीं थी। अतः जवाब दावे के मद संख्या 1 से 8 तथा 11, 14, 16 व 18 जो विशेष आपत्ति की मद संख्या 1 से 9 का जवाब—उल—जवाब प्रस्तुत करना आवश्यक है। अतः उक्त जवाब—उल—जवाब को रिकॉर्ड पर लिए जाने की कृपा करे। प्रार्थना पत्र पर अप्रार्थी पक्ष द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर जवाब प्रार्थना—पत्र बंद किया गया था।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। प्रार्थी पक्ष द्वारा अपने प्रार्थना—पत्र के कथनों की पुनरावृत्ति की, जबकि अप्रार्थी पक्ष द्वारा कथन किया गया कि जवाब—उल—जवाब रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाए। वादी द्वारा अनावश्यक व लंबा जवाब—उल—जवाब प्रस्तुत किया है। प्रार्थी/वादी जवाब—उल—जवाब की आड में नए तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं।

सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। सुसंगत विधि का विवेचन किया गया। वाद पत्र जवाब दावा का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जवाब—उल—जवाब प्रतिवादी के जवाब देने के बाद प्रत्युत्तर में प्रस्तुत किया गया न्यायहित में प्रतीत होता है। अप्रार्थी/प्रतिवादी पक्ष द्वारा यह जाहिर नहीं किया गया कि किन विशेष तथ्यों का समावेश वादी द्वारा जवाब—उल—जवाब की आड में किया जा रहा है, जिससे वाद की प्रकृति ही बदल जाएगी। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के 2015(1) डीएनजी राजस्थान 229 का अवलोकन किया गया, जिसके तहत प्रस्तावित जवाब—उल—जवाब अनावश्यक लंबा है, का तथ्य न्यायसंगत नहीं माना गया था। अतः वादी/प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र न्यायोचित प्रतीत होकर जवाब—उल—जवाब रिकॉर्ड पर लिया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

वादी/प्रार्थी द्वारा अन्य प्रार्थना—पत्र आदेश 6 नियम 17 सीपीसी प्रस्तुत किया गया कि दावे की मद संख्या 10 में वादग्रस्त जायदाद में दक्षिण दिशा दो बार लिखी है, जो लाईन नंबर 4 में दक्षिण दिशा लिखी है, वह दक्षिण न होकर पश्चिम दिशा है, जिसका समर्थन पट्टे से भी होता है, जो टंकण की त्रुटि है। न्यायहित में दुरस्त कराने की कृपा करे।

अप्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर जवाब बंद किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी द्वारा कथन किया गया कि टंकण त्रुटि से दिशा गलत रूप से अंकन की गई, जिसे दुरस्त करवाया जाए। अप्रार्थी पक्ष ने दौराने बहस कथन किया कि वादपत्र में संशोधन नहीं करवाया जाए।

सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। सुसंगत विधि का विवेचन किया गया। पट्टे का अवलोकन किया गया, जिसमें भी पश्चिम दिशा में फैक्ट्री लक्ष्मी देवी स्थित है। जिससे स्पष्ट होता है कि वाद में दक्षिण दिशा 2 बार टंकण त्रुटि से लिखी गई है। उक्त संशोधन ऐसा है, जिससे वाद की मूल प्रकृति में परिवर्तन नहीं होगा। अतः प्रार्थना—पत्र स्वीकार किया जाकर रीडर को आदेशित किया जाता है कि लाईन संख्या 4 में दक्षिण दिशा को पश्चिम दिशा लाल स्याही से अंकित किया जाए। पत्रावली वास्ते कायमी तनकीयात 21.02.2026 को पेश हो।

डॉ. सिद्धार्थ शंकर शर्मा
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं
अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-1
बाड़ी (धौलपुर)